

पूर्व मध्य रेल

कार्यालय  
मंडल रेल प्रबंधक (कार्मिक)  
समस्तीपुर

कार्यालय आदेश सं०- 465/NG/2020/Comm./SPJ

वाणिज्य विभाग के आरक्षण संवर्ग के निम्नलिखित कर्मचारी को प्रशासनिक आधार/निजी अनुरोध पर स्थानान्तरण करते हुये सम पद, वेतन एवं वेतन लेवल में उनके नाम के सामने अंकित कार्यस्थल पर तत्काल प्रभाव से पदस्थापित किया जाता है-

| क्रम सं० | कर्मचारी का नाम सर्वश्री/श्रीमती | वर्तमान पद,              | वेतन लेवल | वर्तमान कार्यस्थल | स्थानांतरीत कार्यस्थल | अभ्युक्ति   |
|----------|----------------------------------|--------------------------|-----------|-------------------|-----------------------|---|
| 01       | सुनील कुमार झा                   | मुख्य आरक्षण पर्यवेक्षक, | 4600(L-7) | दरभंगा            | समस्तीपुर             | निजी अनुरोध पर  |
| 02       | पंकज कुमार                       | आरक्षण पर्यवेक्षक,       | 4200(L-6) | हरीनगर            | चकिया                 | पदस्थापना प्रशासनिक आधार पर प्रतिनियुक्ति तिथि 22.08.2019 से प्रभावी माना जायेगा। |
| 03       | रवि शंकर रजक                     | वाणिज्य लिपिक            | 2000(L-3) | सीतामढ़ी          | शिवहर                 | अस्थाई तौर पर पदस्थापित किया जाता है।   |

क्रम सं० 02 पर अंकित कर्मचारी का स्थानान्तरण प्रशासनिक आधार पर किया गया है, अतः इन्हे स्थानान्तरण पर मिलने वाली सभी सुविधाएं देय है।

क्रम सं० 03 पर अंकित कर्मचारी जो वाणिज्य अधीक्षक/सीतामढ़ी के अधीन वाणिज्य लिपिक/लेवल-3 के पद पर कार्यरत है को आरक्षण कार्यालय शिवहर (SVHR) में वाणिज्य लिपिक लेवल-3 (लेवल-6 के पद को अस्थाई तौर पर लेवल-3 में परिचालित करते हुए) को पदस्थापित किया जाता है। इनकी पदस्थापना अस्थाई आधार पर प्रशासनिक हित को देखते हुए की गई है और भविष्य में इस पद पर बने रहने संबंधी अधिकार/दावा मान्य नहीं होगा।

यह सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदित है।

(मनोज कुमार चौधरी)  
सहायक कार्मिक अधिकारी-।  
कृते मंडल रेल प्रबंधक(का०)  
समस्तीपुर  
दिनांक- 21.09.2020

सं०- का/210/ईसीआरसी/11/2020

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

01 वमंविप्र/सम०।

02 वमंवाप्र./सम०।

03. CTA/स्टेशन अधीक्षक-दरभंगा, हरीनगर, सीतामढ़ी।

04 मुख्य कार्याधी/वमवाप्र कार्यालय/समस्तीपुर।

05 मुख्य कार्याधी/यातायात बिल-कार्यालय में।

06 मंडल मंत्री/ईसीआरकेयू एवं अजा-अजजा एवं ओबीसी एशो/सम० मंडल।

07 संबंधित कर्मचारी।

08 अभिलेख हेतु।

21/10/2020  
कृते मंडल रेल प्रबंधक(का०)  
समस्तीपुर